

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2022-23/101847 /4172

दिनांक:- 26/05/22

लोक सूचना

कमला देवी पत्नी मदन लाल हिस्सा 1/5, प्रियंका पुत्री मदन लाल हिस्सा 1/5, पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र मदन लाल हिस्सा 1/5, राहुल पुत्र मदन लाल हिस्सा 1/5, सचिन पुत्र मदन लाल हिस्सा 1/5 जाति-मीणा सा. देह खातेदार एवं पृथ्वीराज पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा-पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदन लाल मीणा, निवासी-ए-25, जे.डी.ए. स्टाफ कॉलोनी, टीलावाला, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, साँगानेर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-हरवर, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर	कमला देवी पत्नी मदन लाल हिस्सा 1/5, प्रियंका पुत्री मदन लाल हिस्सा 1/5, पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र मदन लाल हिस्सा 1/5, राहुल पुत्र मदन लाल हिस्सा 1/5, सचिन पुत्र मदन लाल हिस्सा 1/5 जाति-मीणा सा. देह खातेदार	214	0.1300
			234	0.1100
2		पृथ्वीराज पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा-पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदन लाल मीणा, निवासी-ए-25, जे.डी.ए. स्टाफ कॉलोनी, टीलावाला, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, साँगानेर, जयपुर	234 / 1	0.4800
			किता-03	कुल रकबा 0.7200

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26/05/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

पर 4172
26/5/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2022-23/101835/4170

दिनांक:- 26/05/22

लोक सूचना

मुकेश कुमार पुत्र श्रीनारायण हिस्सा-पूर्ण, जाति-मीणा, नि.-37, भागीरथ नगर, टोंक फाटक, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-गुनावता, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर	मुकेश कुमार पुत्र श्रीनारायण हिस्सा-पूर्ण, जाति-मीणा, नि.-37, भागीरथ नगर, टोंक फाटक, जयपुर खातेदार।	632/1	0.2500
			633/1	0.2500
			किता-02	कुल रकबा 0.5000

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26/05/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

26/05/22
R-175



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: ()जविप्रा/जोन-06/22/डी-1564

दिनांक:- 25/5/22

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:- निजी खातेदारी- योजना सीताबाड़ी ग्राम झोटवाडा के ख.न. 614 के सदस्यता सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सीताबाड़ी विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावें।

संलग्न:- सदस्यता सूची।

4
उपायुक्त-जोन-6
जविप्रा, जयपुर।

460
PR/R-460
26.5.22

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

सीताबाडी विकास समिति

कार्यालय :- मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर 302012 मो 9214007782

क्रमांक

सीताबाडी विकास समिति
मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर

दिनांक

संरक्षक
दिनेश अमन
(पूर्व पार्षद)

अध्यक्ष
रुक्मी सालोदिया

महासचिव
राजेश सालोदिया

उपाध्यक्ष
मनोज जांगिड

कोषाध्यक्ष
संजय सालोदिया

सदस्य
श्रीमती गीता देवी
श्रीमती बबीता
श्रीमती कविता
सायदा बानों
राकेश जांगिड

सीताबाडी विकास समिति के प्लॉटधारियों की सदस्यता सूची:-

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	पता	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल
1	राकेश संजय सालोदिया	घडसीराम सतीश कुमार	35, सिरसी रोड तीजा नगर जयपुर सालोदिया भवन रैगरो का मोहल्ला झोटवाडा जयपुर	1	54.2 वर्गगज
2	राकेश संजय सालोदिया	घडसीराम सतीश कुमार	35, सिरसी रोड तीजा नगर जयपुर सालोदिया भवन रैगरो का मोहल्ला झोटवाडा जयपुर	2	58.28 वर्गगज
3	राकेश संजय सालोदिया	घडसीराम सतीश कुमार	35, सिरसी रोड तीजा नगर जयपुर सालोदिया भवन रैगरो का मोहल्ला झोटवाडा जयपुर	3	57.63 वर्गगज
4	श्रीमती गीता श्रीमती कविता	सतीश मनोज जांगिड	सालोदिया भवन रैगरो का मोहल्ला झोटवाडा जयपुर 35, सिरसी रोड तीजा नगर जयपुर	4	56.5 वर्गगज

सचिव
सीताबाडी विकास समिति
मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर

राकेश जांगिड
सचिव

मोहल्ला



सीताबाडी विकास समिति
मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर

सीताबाही विकास समिति
भक्त मस्जिद झोटवाडा जयपुर

			झोटवाडा जयपुर		
15	श्रीमती रेखा रिक्	पूरण चन्द सालोदिया राजेश कुमार	सालोदिया भवन रैगरो का मौहल्ला झोटवाडा जयपुर 408 सालोदिया भवन रैगरो का मौहल्ला झोटवाडा जयपुर	15	249.04 वर्गगज
16	धन्नजय सालोदिया धन्नजय	पूरण चन्द सालोदिया	408 सालोदिया भवन रैगरो का मौहल्ला झोटवाडा जयपुर	16	291 वर्गगज
17	पूरण चन्द सालोदिया	प्रभु दयाल सालोदिया	408, सालोदिया भवन रैगरो का मौहल्ला झोटवाडा जयपुर	17	289.05 वर्गगज

रविश उमर

सचिव

सीताबाही विकास समिति
भक्त मस्जिद झोटवाडा जयपुर

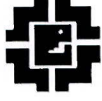
पदाधिकारी हस्ताक्षरकर्ता

(Signature)
अध्यक्ष

सीताबाही विकास समिति
भक्त मस्जिद झोटवाडा जयपुर

सालोदिया विकास समिति
मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर

5	श्रीमती गीता श्रीमती कविता	सतीश मनोज जांगिड	सालोदिया भवन रैगरो का मोहल्ला झोटवाडा जयपुर 35, सिरसी रोड तीजा नगर जयपुर	5	111.33 वर्गगज
6	सायदा बानो	मोहम्मद रफीक	मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर	6	40.13 वर्गगज
7	श्रीमती बबीता	राकेश	35, सिरसी रोड तीजा नगर जयपुर	7	63.15 वर्गगज
8	वाहिदू खों	गफ्फार खों	मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर	8	58.6 वर्गगज
9	हफीजन बानो	गफ्फार खों	मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर	9	40.4 वर्गगज
10	गुलशन बानो	युनुस खों	मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर	10	49.81 वर्गगज
11	गुन्तू	मौ. अंसार	मक्का मस्जिद झोटवाडा जयपुर	11	48.50 वर्गगज
12	कुमारी नीतू	सतीश सालोदिया	सालोदिया भवन रैगरो का मोहल्ला झोटवाडा जयपुर	12	48.30 वर्गगज
13	मनोज राजेश कुमार	घडसीराम जांगिड प्रभु दयाल	35, सिरसी रोड तीजा नगर जयपुर 408 सालोदिया भवन रैगरो का मोहल्ला झोटवाडा जयपुर	13	54.67 वर्गगज
14	सतीश सालोदिया	प्रभु दयाल	सालोदिया भवन रैगरो का मोहल्ला	14	276.41 वर्गगज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी- 2459

दिनांक 24/5/2022

— आम सूचना :—

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना शिव शक्ति नगर का आवंटन/नियमन शिविर आयोजित किया जा रहा है। योजना ग्राम बास बिलवा, तह. सांगानेर, जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर योजना सृजित है।

क. सं.	ग्राम/तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम	93	0.23	94	0.06	97	0.15	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2	बास बिलवा, तह. सांगानेर, जयपुर।	98	0.45	107	0.34			

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची समिति द्वारा प्रस्तुत सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उक्त न्यू चन्दलाई नगर योजना का नियमन कर शिविर लगाया जाना प्रस्तावित है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से संबंधित अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात 7(सात) दिवस या कैम्प दिवस (जो भी कम हो) में, कार्यालय जोन-14, जविप्रा परिसर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त खसरों में स्थित भूमि में विकसित योजना के भूखण्डधारियों की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/ आवंटन/ नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

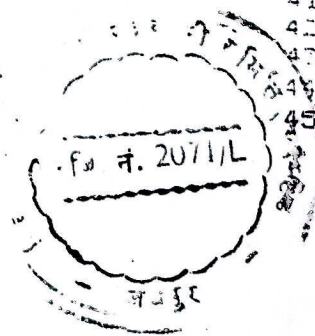
21/5/22
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
ज. वि. प्रा., जयपुर

21/5/22
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
ज. वि. प्रा., जयपुर

SCHEME: SHIV SHAKTI NAGAR

PLACE: BASS BILWA SANGANER, JPR

S. NO.	NAME OF THE ALLOTEE	PERSON FATHER/HUSBAND'S NAME	PLOT NO.	PLOT SIZE
1	TRILOK AGARWAL	S/O LET SHRI RADHEY SHAYAM	1	94.00
2	KRISHAN DEVI	W/O LET SHRI TRILOK AGARWAL	2	90.00
3	TARA CHAND JI	S/O LET SHRI TRILOK AGARWAL	3	86.00
4	RAM CHANDRA	S/O PRAHLAD JI	4	82.00
5	RAM CHANDRA	S/O PRAHLAD JI	5	78.00
6	HANUMAN SAHU	S/O SRI GANESH NARAYAN SAHU	6	80.00
7	KUNDAN SAHU	S/O SRI GANESH NARAYAN SAHU	7	83.50
8	RAM GOPAL SAHU	S/O SRI GANESH NARAYAN SAHU	8	83.50
9	CHANDRA PRAKASH SAHU	S/O SRI GANESH NARAYAN SAHU	8	70.00
10	GOPAL LAL	S/O RAMESH CHAND	10	70.00
11	RAM CHANDRA	S/O RAMESH CHAND	11	70.00
12	RAM CHANDRA	S/O RAMESH CHAND	11	70.00
13	GORI SHANKER	S/O JANGNATH PRASAD	12	70.00
14	DINESH KUMAR	S/O JANGNATH PRASAD	13	70.00
15	RAM JARCH	S/O JANGNATH PRASAD	14	70.00
16	GAJAND	S/O GIRAJ PRASAD	15	70.00
17	GAJANAND	S/O GIRAJ PRASAD	16	70.00
18	GAJANAND	S/O GIRAJ PRASAD	17	70.00
19	RAJESH	S/O RAJIV KUMAR	18	70.00
20	BABU LAL SAHU	S/O PRALADH SAHU	19	97.00
21	SURESH SAHU	S/O SRI PRAHLAD SAHU	20	97.20
22	NAND KISHOR SAHU	S/O SRI RADHE SHYAM JI SAHU	21	97.00
23	RAILASH SAHU	S/O SRI RADHE SHYAM JI SAHU	22	95.00
24	JOGENDRA SINGH	S/O GYOMAT SINGH KUSHWAH	23	70.00
25	PUSENDER MACHIWAL	S/O SRI BRAJ MOHAN MACHIWAL	24	70.00
26	PUSHPENDRA MACHIWAL	S/O BRIJ MOHAN MACHIWAL	25	70.00
27	PUSHPENDRA MACHIWAL	S/O BRIJ MOHAN MACHIWAL	26	70.00
28	BULBUL	W/O PUSENDER MACHIWAL	27	70.00
29	RADHA	W/O PUSENDER MACHIWAL	28	70.00
30	DINESH KUMAR	D/O PUSENDER MACHIWAL	29	70.00
31	NANAG RAM	S/O RAJENDRA KUMAR	30	70.00
32	NANAG RAM	S/O ONKAR	31	70.00
33	SURESH SAHU	S/O ONKAR	32	70.00
34	YOGRAJ SAHU	S/O SRI RADHE SHYAM	33	93.00
35	MADAN LAL	S/O SRI RADHE SHYAM	34	93.00
36	MADAN LAL	S/O NANG RAM	35	300.00
37	JAGDISH PRASAD	S/O NANAGRAM	36	200.00
38	ANIL KUMAR	S/O NANG RAM	37	200.00
39	ANAN	S/O RAM LARAN	38	200.00
40	ANILAM	S/O DINAKAR LAL SHARMA	39	190.00
41	PRASAD SHARMA	S/O DINAKAR LAL SHARMA	40	200.00
42	DEET	S/O R.K. SHARMA	41	200.00
43	RAJ KUMAR	S/O R.K. SHARMA	42	200.00
44	RAJ KUMAR	S/O RAM HET LAL	43	200.00
45	RAJENDRA PRASAD	S/O R.K. PRASADANI	44	350.00
46	RAJENDRA PRASAD	S/O RAVI PRAKASH	45	200.00



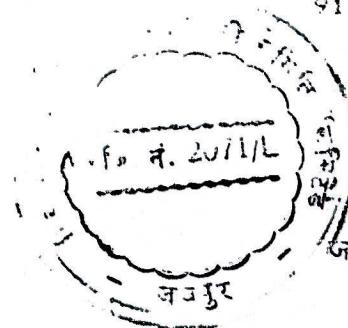
उप-रजिस्ट्रार (सहकारिता)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

VIKAS BHAWAN NIRMAN BHAKARI SAMITI LTD.
JALPUR

SCHEME : SHILP BHAKARI BHAGAR

PLACE : BASS BILWA SONBANER JIR

S. NO.	NAME OF THE ALLOTEE	PERSON FATHER/HUSBAND'S NAME	PLOT NO.	PLOT SIZE
46	RAM CHAND TADI	S/O RADHEY SHAYAM TADI	46	200.00
47	RAM CHAND	S/O GODHU RAM	47	146.60
48	SATYA NARAYAN NAI	S/O GOGAR NAI	48	173.30
49	JITENDRA SHARMA	S/O RAMDAHN SHARMA	49	200.00
50	RAJEEV CHOUDHARY	S/O GOAPL CHOUDHARY	50	200.00
51	HARI NARAYAN	S/O GHASI RAM	51	233.10
52	NIRMAL SHARMA	S/O KANHIYA LAL SHARMA	52	150.00
53	NARESH SHARMA	S/O K.L. SHARMA	53	180.00
54	KISHAN LAL SAINI	S/O BODI LAL	54	200.00
55	ARUN MALIK	S/O RAVI MALIK	55	100.00
56	GOVERDHAN DAS	S/O RAM DAS	56	200.00
57	RAMJI LAL	S/O GYARSI LAL	57	300.00
58	GOGA RAM	S/O JODHRAJ	58	200.00
59	RAM KISHORE	S/O SULTAN RAM	59	200.00
60	GHANSHAYAM	S/O RADHEY SHAYAM	60	200.00
61	PAWAN KUMAR	S/O JODHRAJ	61	200.00
62	NAMO NARAYAN	S/O KALU RAM	62	200.00
63	OM PRAKASH	S/O KALU RAM	63	200.00
64	BHAWANI SINGH	S/O KALU RAM	64	200.00
65	RAM KISHAN TADI	S/O GOVIND RAM TADI	65	200.00
66	DESH BANDHU GUPTA	S/O RAMESHWAR PRASAD	66	200.00
67	BHAWANA SHARMA	W/O RADHEY SHAYAM SHARMA	67	200.00
68	DIPIKA	W/O KANHIYA LAL	68	200.00
69	RAMA	D/O KANHIYA LAL	69	200.00
70	SANTOSH	W/O CHANDRA PRAKASH	70	200.00
71	HEMA	W/O LAL RAM	71	200.00
72	MAN MOHAN	S/O LAL RAM	72	200.00
73	NAWAL KISHORE	S/O LAL RAM	73	200.00
74	DEVENDRA KUMAR	S/O RAMESH CHANDRA	74	200.00
75	SUDHIR KUMAR	S/O RAMESH CHANDRA	75	200.00
76	KALYAN	S/O HARBUX	76	200.00
77	RADHA KISHAN	S/O HARBUX	77	200.00
78	CHANDMA	S/O HARBUX	78	200.00
79	JOHARI LAL	S/O RADHEY SHAYAM	79	138.80
80	GHANSHAYAM	S/O RADHEY SHAYAM	80	138.80
81	KISHAN LAL BALAI	S/O JODHA RAJ	81	138.80
82	DEVA RAM	S/O GIRDHARI LAL	82	138.80
83	PENA RAM	S/O GIRDHARI LAL	83	111.11
84	DEVENDRA KUMAR	S/O GIRDHARI LAL	84	111.11
85	CHOTHMAL	S/O RAM JI	85	138.80
86	NIRMALA MATHUR	W/O JAGAT NATH	86	138.80
87	SITARAM	W/O KALYAN	87	138.80
88	JHUTHA RAM	S/O DEV BUX	88	138.80
89	RAM SAHAY	S/O DEV BUX	89	138.80
90	DEV KARAN	S/O DEV BUX	90	138.80
91	DEV PAL	S/O JAGAN LAL	91	138.80



(Signature)

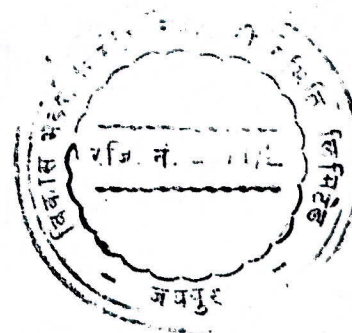
जयपुर विकास प्राधिकरण, ज

6

VILAS BHAWAN NIRMAN SAHAKARI SAMITI LTD.
JAIPUR
SCHEME: SHIV SHAKTI NAGAR PLACE: BASS BILWA SANGANER, JPF

S. NO.	NAME OF THE ALLOTEE	PERSON FATHER/HUSBAND'S NAME	PLOT NO.	PLOT SIZE
92	REWAD	S/O KANA RAM	92	138.80
93	HARSH NARAYAN	S/O KANA RAM	93	111.10
94	RAMESHWAR	S/O DEENDAYAL	94	111.10
95	PENA RAM	S/O KISHAN LAL	95	138.80
96	SEWA RAM	S/O MOOL CHAND	96	138.80
97	PORAN	S/O GHANSHAYAM	97	138.80
98	DIWAKAR SHARMA	S/O PUROSHOTAM SHARMA	98	138.80
99	KIRAN	W/O LAVKESH	99	138.80
100	DINESH	S/O RAMKARAN	100	138.80
101	RADHA RAMAN	S/O RAMKARAN	101	138.80
102	HARI NARAYAN	S/O NAND LAL	102	138.80
103	SHYONARAYAN	S/O NAND LAL	103	111.10
104	KISHANA RAM	S/O NEM CHAND	104	70.00
105	JYOTSANA	S/O KEWAL CHAND BHARGAVA	105	70.00
106	MAHAVEER SHARMA	S/O KEWAL CHAND BHARGAVA	106	70.00
107	KULDEEP ROKA	S/O FARAS MAL ROKA	107	70.00
108	RAMADEEN	S/O JHUMAR MAL	108	70.00
109	RAMESH	S/O GIRDHARI	109	116.80

(सहकारिता)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी- 1012

दिनांक 23/5/2022

विज्ञापित/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	11 पश्चिम भाग	मुक्तानन्द नगर	श्री राजेश अरोडा पुत्र स्व. श्री अमर नाथ अरोडा	श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री अमरनाथ	पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
2	11 पूर्वी भाग	मुक्तानन्द नगर	श्री अशोक अरोडा पुत्र स्व. श्री अमर नाथ अरोडा	श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री अमरनाथ	पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

—सद—
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

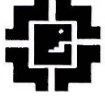
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

PROJ-R-461
26/5/22

—सद—
उपायुक्त जोन-4
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2473

दिनांक 25/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	27	270.00 व.ग.	श्री उज्जवल चौपडा पुत्र स्व. श्री मधुसूदन चौपडा	अम्बेश्वर गृ.नि.स. स.लि.	कामधेनू नगर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

21/-
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

21/-
उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

जविप्रा की योजना के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के नामहस्तान्तरण/लीजडीड आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए हैं।

यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई भी आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवदकों के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी कर दी जाएगी।

क्र.स.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
1.	श्रीमती प्रेम देवी	ई-50	झालाना फेज-III
2.	श्रीमती अनिता सर्राफ	आर-6	सी-स्कीम

1
ST
उपायुक्त, जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

पीआरओ

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक:-जविप्रा/अति.आ(प्रशा)/22/डी-1544
दिनांक:- 25/5/22

DRP-471
26/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा.1/जोन-1/2022/डी-1537
विज्ञप्ति

दिनांक:- 27/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, झालाना फेज-III के भूखण्ड संख्या-ई-50 का आवंटन श्री करीम खां पुत्र श्री नूर मोहम्मद के नाम जारी किया गया था। मूल आवंटी श्री करीम खां पुत्र श्री नूर मोहम्मद ने अपंजीकृत इकरारनामा के द्वारा श्री गंगा प्रसाद पुत्र मानुराम को किया गया। श्री गंगा प्रसाद की मृत्यु दिनांक 08.07.2013 को हुई गई है। श्री गंगा प्रसाद के वारिशों द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र/संशोधित हकत्याग पत्र (1) सुनिता रैगर पुत्री स्व. श्री गंगा प्रसाद (2) इन्द्रा पुत्री स्व. श्री गंगा प्रसाद (3) अनिता पुत्री स्व. श्री गंगा प्रसाद द्वारा अपनी माता श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व. श्री गंगा प्रसाद को किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

६०

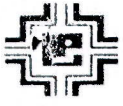
उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

1
जि
20/05/22

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा.1/जोन-1/2022/डी- 1543

दिनांक: 25/5/22

विज्ञप्ति

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, सी-स्कीम के भूखण्ड संख्या-आर-6 का नामहस्तान्तरण पत्र (1) श्री महेन्द्र आर. सराफ (2) श्री प्रदीप सराफ एवं (3) श्रीमती शालिनी एम. सराफ दिनांक 09.12.2005 को जारी किया गया था। श्री प्रदीप कुमार की मृत्यु दिनांक 07.11.2020 को हो गई है। प्रदीप सराफ के हिस्से उनके वारिसों द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र (1) नेहा खेमका सुपुत्री स्व. श्री प्रदीप सराफ (2) श्री प्रनित सराफ पुत्र स्व. श्री प्रदीप सराफ (3) सांची डालभिया सुपुत्री स्व. श्री प्रदीप सराफ अपनी माता श्रीमती अनिता सराफ पत्नी स्व. श्री प्रदीप सराफ के पक्ष में हकत्याग पत्र किया गया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

६०

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

1

25/5/22

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-1439

दिनांक:-25/5/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	खातेदार/आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	56	कृष्णा सरोवर (निजी खातेदारी)	श्रीमती बाबूडी पत्नी श्री श्योकरण	श्री श्योकरण पुत्र हरदेव	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 10.05.2005
2	67	श्याम विहार (लुनियावास गृ.नि. स.समिति लि.)	श्री हरी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री विशम्भर प्रसाद शर्मा	श्री हरी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री विशम्भर प्रसाद शर्मा	दिनांक 20.12.1995 को जारी आवंटन पत्र, स्थल मानचित्र
3	11	हरे कृष्णा विलेज-द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्री जगदीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा0लि0 डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1998 एवं पंजीकृत मु0आम दिनांक 31.03.2005 की गुमशुदगी रिपोर्ट
4	12	हरे कृष्णा विलेज-द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्रीमती अंजना गुप्ता पत्नी श्री जगदीश चन्द गुप्ता	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा0लि0 डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1998 एवं पंजीकृत मु0आम दिनांक 01.04.2005 की गुमशुदगी रिपोर्ट
5	507	गोविन्दपुरा (जविप्रा योजना)	श्रीमती रोशन देवी पत्नी श्री भजन लाल बैरवा	श्री मुन्नालाल पुत्र श्री मिनूराम	अपंजीकृत मु0आम दिनांक 23.06.2003

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-470
26/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी-3051

दिनांक-25.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	293	355.55 व. ग.	कुसुम विहार	श्रीमती प्रेम देवी शर्मा पत्नी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	श्रीमती प्रेमलता कोठारी पत्नी डॉ.एल.के. कोठारी	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र

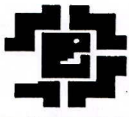
उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी- 4578

दिनांक:- 26/05/2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-गुनावता, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 714/1 रकबा 0.0700 है0, 716 रकबा 0.3100 है0, किता-02 कुल रकबा 0.3800 हेक्टेयर भूमि फार्म हाउस प्रयोजनार्थ 90ए की कार्यवाही हेतु जारी लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम-गुनावता, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 714/1 रकबा 0.0700 है0, 716 रकबा 0.3100 है0, किता-02 कुल रकबा 0.3800 हेक्टेयर भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ धारा 90-ए की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन के क्रम में आपत्ति/सुझाव हेतु लोक सूचना प्रकाशित करवायी जानी है जिसका प्रकाशन आपके स्तर से राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्रधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-श्रीमती कमला देवी पत्नि मदन लाल, हिस्सा-पूर्ण, जाति-मीणा, सा. जेडीए स्टाफ कॉलोनी, टीलावाला, सोंगानेर, जयपुर खातेदार को सूचनार्थ प्रेषित है।

PROR-473
26/5/22

प्रधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2022-23/101859/4178

दिनांक:- 26/05/2022

लोक सूचना

कमला देवी पत्नि मदन लाल, हिस्सा-पूर्ण, जाति-मीणा, सा. जेडीए स्टाफ कॉलोनी, टीलावाला, साँगानेर, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

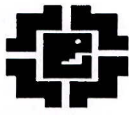
क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-गुनावता, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर	कमला देवी पत्नि मदन लाल, हिस्सा-पूर्ण, जाति-मीणा, सा. जेडीए स्टाफ कॉलोनी, टीलावाला, साँगानेर, जयपुर खातेदार।	714/1	0.0700
			716	0.3100
			किता-02	कुल रकबा 0.3800

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26/05/2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PR/R-473
26/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी- 4172

दिनांक:- 26/05/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-हरवर, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 214 रकबा 0.1300 है0, 234 रकबा 0.1100 है0 एवं 234/1 रकबा 0.4800 है0, किता-03 कुल रकबा 0.7200 हेक्टेयर भूमि फार्म हाउस प्रयोजनार्थ 90ए की कार्यवाही हेतु जारी लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम-हरवर, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 214 रकबा 0.1300 है0, 234 रकबा 0.1100 है0 एवं 234/1 रकबा 0.4800 है0, किता-03 कुल रकबा 0.7200 हेक्टेयर भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ धारा 90-ए की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन के क्रम में आपत्ति/सुझाव हेतु लोक सूचना प्रकाशित करवायी जानी है जिसका प्रकाशन आपके स्तर से राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-कमला देवी पत्नी मदन लाल, प्रियंका पुत्री मदन लाल, पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र मदन लाल, राहुल पुत्र मदन लाल, सचिन पुत्र मदन लाल एवं पृथ्वीराज पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा-पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड मुख्तियारआम श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदन लाल मीणा, निवासी-ए-25, जे.डी.ए. स्टाफ कॉलोनी, टीलावाला, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, सोंगानेर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रो R-474
26/5/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दूरभाष - +91-141-2569795 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-

दिनांक:-

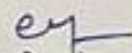
लोक सूचना

रिलायबल बिल्ड हेक एलएलपी जरिये पार्टनर श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री बाल स्वरूप गुप्ता पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नम्बर-7-8-9-10, कैलाश कैंटीन के सामने, रोड नम्बर-7, वीकेआई एरिया, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का एग्रो वेयरहाउस उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-उदयपुरिया तहसील-आमेर (जयपुर)	RELIABLE BUILD TECH LLP	407	0.050
2			408	1.14
3			471 / 396	0.29
4			473 / 409	8.51
			किता-4	10.00

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26-5-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

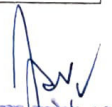
क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101863

दिनांक: 26/05/2022

लोक सूचना

श्री ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP पुत्र श्री RAM CHANDAR YADAV जाति AHIR निवासी 2C, SWAROOP COLONEY DCM, AJMER ROAD, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, सांगानेर (जयपुर)	MOOL CHAND S/O SHRI RAMESHWAR AND HANUMAN SAHAY S/O SHRI RAMESHWAR THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP AUTHORISED PARTNER RAM CHANDAR YADAV	175	5500	0.55
2.	पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, सांगानेर (जयपुर)	MOOL CHAND S/O SHRI RAMESHWAR AND HANUMAN SAHAY S/O SHRI RAMESHWAR THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP AUTHORISED PARTNER RAM CHANDAR YADAV	180/513	1000	0.1
3.	पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, सांगानेर (जयपुर)	MOOL CHAND S/O SHRI RAMESHWAR AND HANUMAN SAHAY S/O SHRI RAMESHWAR THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP AUTHORISED PARTNER RAM CHANDAR YADAV	203/514	1100	0.11
4.	पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, सांगानेर (जयपुर)	MOOL CHAND S/O SHRI RAMESHWAR AND HANUMAN SAHAY S/O SHRI	204	4500	0.45


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

		RAMESHWAR THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP AUTHORISED PARTNER RAM CHANDAR YADAV			
5.	पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, सांगानेर (जयपुर)	MOOL CHAND S/O SHRI RAMESHWAR AND HANUMAN SAHAY S/O SHRI RAMESHWAR THROUGH POA ARYAN LANDMARK DEVELOPERS LLP AUTHORISED PARTNER RAM CHANDAR YADAV	205	4100	0.41
कुल					1.62

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **26-05-2022** को जारी की गयी।

उपायुक्त जौन-12
प्राधिकृत अधिकारी जौन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1435

दिनांक 26/5/22

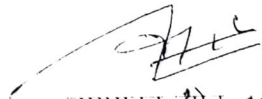
सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा इन्द्रा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक विहार ए से ई के निम्न भूखण्डधारी द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग. में
1	श्री आदित्य सैनी पुत्र श्री हनुमान सहाय सैनी	डी-53	133.33

उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र समिति द्वारा श्री शम्भूदयाल लखेरा पुत्र श्री रामेश्वरलाल लखेरा के नाम जारी किया गया है तथा प्रमाणित सदस्यता सूची में श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री नाथूलाल का नाम अंकित है। उपरोक्त भूखण्डधारी का नाम उप रजिस्ट्रार जविप्रा, जयपुर से प्रमाणित सूची में भिन्न है तथा किसी अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित है। समिति द्वारा पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त व्यक्ति के नाम पट्टा जारी किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः समिति द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर योजना अशोक विहार-ए से ई के उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी अन्य को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री आदित्य सैनी पुत्र श्री हनुमान सहाय सैनी निवासी-44, गालियों की ढाणी, गुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।